राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/अमेण्ड/11/**4585–5035** दिनांकः **9.3.11**

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

विषयः वित्त बजट 2011–12 के अन्तर्गत राज्य अधिसूचनाओं की प्रति भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त बजट 2011–12 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनायें संलग्न कर वास्ते सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–152 दिनांक 09.03.2011
2. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–153 दिनांक 09.03.2011
3. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–154 दिनांक 09.03.2011
4. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–155 दिनांक 09.03.2011
5. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–156 दिनांक 09.03.2011
6. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–157 दिनांक 09.03.2011
7. अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11–158 दिनांक 09.03.2011

संलग्नः 7 अधिसूचनायें

भवदीय,

09/3/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.593.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अवसंरचना सुविधाओं के विकास के प्रयोजनों के लिए और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण करने के लिए, स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामा और पट्टे की, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, को किसी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण, उसके विकास के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित करार या करार के ज्ञापन की, लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-152]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.594.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अनुसूची के अनुच्छेद 14 के अधीन बंधपत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 2 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-153]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.595.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-158 दिनांक 09.03.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पत्नी, पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-154]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.596.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 48 के उपबंधों के अनुसार निष्पादित कृषि भूमि के विनिमय की लिखत और पैतृक कृषि भूमि के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का इसके द्वारा परिहार करती है।

[प.12(25)वित्त/कर/11-155]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.597.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 29 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**29. बट्टा.-** प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता या पदेन विक्रेता को, जो नकद धन के संदाय पर सरकार से न्यायिक या न्यायिकेतर स्टाम्प क्रय करता है, निम्नलिखित बट्टा अनुज्ञात किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	स्टाम्प अंकित मूल्य	बट्टा
1.	1 से 400 रु.	2 प्रतिशत
2.	401 और अधिक रु.	1 प्रतिशत

"

3. नियम 58 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (1-क) में विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (iv), (v) और (vi) अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(iv) नगरपालिक क्षेत्रों में भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरें सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के लिए सुसंगत नियमों के अधीन अवधारित आरक्षित कीमत की दरों से कम नहीं होंगी।

(v) संस्थागत और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें पृथक् रूप से अवधारित की जायेंगी।

(vi) संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें आवासिक भूमि की दरों से डेढ़ गुना से कम नहीं होंगी और औद्योगिक प्रयोजन के लिए

भूमि की दरें ऐसी भूमि के 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की दरों से या उस क्षेत्र की आवासिक भूमि की दर से, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए संस्थागत प्रयोजन में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित हैं और औद्योगिक प्रयोजन में कृषि आधारित उद्योग, रासायनिक और औषध-निर्माण सम्बन्धी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग, पर्यटन उद्योग इत्यादि सम्मिलित हैं।"।

[प.12(25)वित्त/कर/11-156]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.598.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि संस्थागत प्रयोजन या औद्योगिक प्रयोजन (पर्यटन इकाई के लिए भूमि को सम्मिलित करते हुए) के लिए भूमि से सम्बन्धित हस्तान्तरण की लिखत पर, जिसके लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा दरों की सिफारिश नहीं की गयी है, स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार कम और प्रभारित किया जायेगा:-

(i) संस्थागत भूमि के मामले में, पक्षकारों द्वारा लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल पर या उस क्षेत्र में आवासिक भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों की डेढ़ गुणा दर से निर्धारित मूल्यांकन पर, इनमें से जो भी अधिक हो।

(ii) औद्योगिक भूमि (पर्यटन इकाई के लिए भूमि को सम्मिलित करते हुए) के मामले में, उस क्षेत्र में आवासिक भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों पर निर्धारित मूल्यांकन पर या 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की दरों पर, इनमें से जो भी कम हो:

परन्तु यदि पक्षकारों द्वारा लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्यांकन से अधिक हो तो स्टाम्प शुल्क इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर प्रभारित किया जायेगा।

(iii) कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित समस्त मामलों में, स्टाम्प शुल्क उपर्युक्तानुसार कम और प्रभारित किया जायेगा किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-157]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.599.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य में भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से बढ़ोतरी हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें या महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरें भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य को प्रकट नहीं करती हैं, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की बाजार दरों या, यथास्थिति, महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरों को पुनः अवधारित किया जायेगा और इन्हें समस्त क्षेत्रों में स्थित भूमि के 15 प्रतिशत तक तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-158]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव